कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/04 दिनांक : 11-04-2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
   स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक
   समग्र शिक्षा अभियान ।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
   समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु विशेष अभियान चलाये जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परीक्षा समाप्ति एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों के शत–प्रतिशत नामांकन एवं ड्रॉप आउट दर को समस्त स्तरों पर न्यूनतम दर पर लाये जाने हेतु सतत् रूप से नवीन विद्यार्थी नामांकन एवं उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किये जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. <u>वर्तमान कक्षा की परीक्षा पूर्ण होते ही नवीन कक्षा में प्रवेश प्रारंभ :–</u>
   राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किए जाने हेतु विभागीय निर्देशों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक कारगर एवं प्रभावी बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा– 5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए (नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए) अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत कक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाना है :–

क्र. सं.	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत कक्षा संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1	कक्षा–5	कक्षा–6	11 अप्रैल – 2019
2	कक्षा–8	कक्षा–9	29 मार्च – 2019
3	कक्षा–10	कक्षा–11	28 मार्च – 2019

2. <u>समुदाय की सहभागिता</u> :–
   उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया माह मार्च के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ हो चुकी है। उक्त प्रवेश प्रक्रिया एवं विद्यालयों में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखते हुए स्थानीय परीक्षाओं की समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय परिक्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन से शेष रहे विद्यार्थियों के चिन्हीकरण

www.rajteachers.com

का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए तथा दिनांकः 30 अप्रेल/03 मई, 2019 को **SDMC** की साधारण सभा एवं शिक्षक–अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक **(PTM)** आयोजित कर परिक्षेत्र के समस्त चिन्हित विद्यार्थियों का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु वृहद् स्तर पर पारस्परिक विचार–विमर्श कर ठोस कार्य–योजना निर्मित की जाए। इस बैठक में समस्त आगन्तुकों को अपने विद्यालय की स्टार रैंकिंग के बारे में अवगत कराएं तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैंकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्य–योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जाए। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली शिक्षक–अभिभावक परिषद् **(PTA)** की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही की जावे।

3. <u>नवप्रवेशितों एवं प्रेरणास्पद कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान</u> :–
संस्था प्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थानों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम तथा वास स्थान के मौजिज व्यक्तियों के साथ समन्वित प्रयास कर आदर्श नामांकन के लक्ष्य को आसानी से गुणवत्ता के साथ अर्जित किया जा सकता है। नामांकन वृद्धि हेतु जन समुदाय के समन्वय से अनुकरणीय कार्य करने वाले शिक्षकों का विद्यालय स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस अभियान के दौरान नव प्रवेशित छात्रों के साथ स्वागत किये जाने की कार्यवाही भी इस दिशा में अन्य शिक्षकों एवं कार्मिकों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।

4. <u>जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत की विद्यालय में सहभागिता</u> :–
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्थाई निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक प्रतिमाह दिनांक : 5 एवं 20 को नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम विकास अधिकारी आवश्यक रूप से भाग लेते हैं। उक्त बैठकों में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की स्थानीय समस्याओं एवं मुद्दों के निस्तारण तथा विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास बाबत् स्थानीय जनप्रतिनिधियों के जुड़ाव तथा सहयोग प्राप्ति हेतु समय–समय पर भाग लेना अपेक्षित है। समस्त संस्था प्रधानों एवं PEEO द्वारा उक्त विशिष्ट अवसर का लाभ शत–प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक सुअवसर के रूप में उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के PEEO तथा समस्त संस्था प्रधानों द्वारा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु ग्राम सभा/वार्ड सभा के आयोजन के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा नामित ग्राम सभा प्रभारी, सरपंच तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों, **SDMC** सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों, स्थानीय भामाशाहों, स्थानीय मीडिया एवं अन्य राजकीय एजेंसियों से पूर्व विचार–विमर्श एवं समन्वय उपरान्त सम्पूर्ण परिक्षेत्र हेतु शत–प्रतिशत नामांकन एवं सुनिश्चित ठहराव की प्रभावी रूपरेखा निर्मित कर

www.rajteachers.com

तद्नुरूप ग्राम पंचायत/कैचमेंट एरिया के समस्त विद्यार्थियों हेतु सार्थक कार्य–योजना निर्मित की जानी अपेक्षित है।

5. <u>शनिवारीय बाल सभा से विद्यालय के प्रति रूचि का प्रचार–प्रसारः–</u>
विद्यालय में बालकों की सह–शैक्षिक गतिविधियों में प्राप्त कौशल को विद्यालय के बाहर गांव की चौपाल अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करने का मंच है–शनिवारीय बाल सभा। विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम की रिपोर्ट में जहां उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख होता है, वहीं शनिवारीय बाल सभा में कुशल विद्यार्थियों का प्रतिभा प्रदर्शन विद्यालय में हो रहे सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के पुरजोर प्रयास को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे में विद्यालय में अप्रवेशित बालक–बालिकाएं तथा ऐसे बालक–बालिकाओं के अभिभावक प्रभावित होकर विद्यालय से जुड़ते हैं और अप्रवेशित के विद्यालय प्रवेश का मार्ग सहज हो जाता है। शनिवारीय बाल सभा में इन अप्रवेशित बालकों को अपने हुनर को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाकर विद्यालय की मुख्य धारा में जुड़ने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार उनके अभिभवकों को इस सभा में अतिथि के रूप में सम्मिलित कर सहज ही उनका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। इस सभा में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन की योजनाओं की सहज अवगति ग्रामवासियों एवं आनामांकित बालक–बालिकाओं के अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार सर्वाजनिक स्थल पर बाल सभा आयोजन को विद्यालय के नवीन नामांकन के लिये सशक्त सहयोग का माध्यम बनाया जा सकता है।

6. <u>ग्रामसभा के माध्यम से अन्य विभागों वं ग्रामवासियों से नामांकन वृद्धि हेतु समन्वयः–</u>
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार में समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO को पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्धारित तिथि की अवगति प्राप्त कर तद्नुसार नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जिला/उपखण्ड/तहसील प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों/एजेंसियों से वांछित सहयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा आयोजन से पूर्व सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने बाबत समुचित निर्देश प्रदान किए जाएंगे। उक्त ग्राम सभाओं में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO आवश्यकतानुसार स्टाफ सदस्यों का सहयोग लेते हुए समस्त उपस्थित अभिभावकों/ग्रामवासियों को इस विशिष्ट अभियान के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु उनकी सहभागिता प्राप्त करेंगे। साथ ही ग्राम सभा आयोजन में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों/अभिभावकों तथा पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों/कार्मिकों को राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभाग द्वारा लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाए तथा राज्य

www.rajteachers.com

सरकार द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों–उपागमों के परिणामस्वरूप विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी भी दी जाये।

7. **स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैठकों में नामांकन एक प्रमुख एजेण्डा:–**

पंचायत समिति, नगपालिका, नगर परिषद, नगर निगम व जिला परिषद की साधारण सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं पार्षदों से समन्वय कर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य योजना के अनुसार जिला परिषद, नगरीय निकायों व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा में एवम् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अनुभवी अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त पंचायत समितियों की साधारण सभा में उपस्थित रहकर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी एवं सार्थक जुड़ाव नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु प्राप्त किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

8. **नामांकन के लिये लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना का निर्माण :–**

विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु न केवल अप्रवेशित बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन ध्येय होना चाहिये वरन् विद्यालय में पढ़ रहे समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय में सतत् ठहराव भी प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नामांकन की सार्थकता तब ही है जब अध्ययनरत् विद्यार्थी आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर ले एवं समस्त अनामांकितों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएं। इसके लिये पूर्व से ठोस योजना बनाकर कार्य करना होगा। यह योजना दोनों ही लक्ष्यों के लिये पृथक–पृथक बनानी होगी। गत सत्र में आऊट ऑफ स्कूल में से शेष विद्यार्थी, जो प्रवेश से अभी भी वंचित है, ऐसे अनामांकित बालक–बालिकाओं कैचमेन्ट एरिया के विद्यालय में प्रवेश के लिये तत्काल प्रयास प्रारंभ कर दिए जाने चाहिये और उस सामाजिक परिवेश के मौजिज व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों , पूर्व विद्यार्थियों एवं वर्तमान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सहायता से उन्हें नमांकित करने हेतु गम्भीर प्रयास किये जाएं। प्रवेश आयु वर्ग में आने वाले समस्त शिशुओं की सूची आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त कर उनका विधिवत् विद्यालय प्रवेश वर्तमान से ही प्रांरभ कर दिया जाना चाहिये। इसके लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का सहयोग लिया जावे। कक्षाध्यापकों के साथ मिलकर अध्ययनरत् विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी चिन्हित किये जावें, जिनके अध्ययन की निरंतरता में व्यवधान संभावित हो, उनके अभिभावकों के साथ सतत सम्पर्क उनके ठहराव को बनाए रखने में सहायक होगा। इसी प्रकार विभिन्न स्तर के विद्यालयों की उच्चतम कक्षा स्तर (कक्षा 5/कक्षा 8/कक्षा 10) की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ सतत सम्पर्क में रह कर उन्हें आगामी अध्ययन हेतु उच्च स्तर के विद्यालय की अगामी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रेरित करें। समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान तथा पीईईओ परिक्षेत्र के अन्य सम्बन्धित

www.rajteachers.com

विद्यालयों के संस्था प्रधानों से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करें एवं उनकी सहायता से उनका आगामी अध्ययन सुनिश्चित करें।

क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधानों को उपर्युक्तानुसार निर्देशित कार्यवाही तथा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य–योजना की ठोस एवं सार्थक क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 समस्त जिला कलक्टर।
4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान सह अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को प्रेषित कर लेख है कि जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु प्रभावी प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण करते हुए प्रतिदिन सूचना संकलन हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के साथ समुचित समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करें।
9 समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्राधिकार में जिला/ब्लॉक स्तरीय शिक्षाधिकारियों से समुचित सम्पर्क–समन्वय स्थापित करते हुए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता के लिए वांछित सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
10 उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा को नामांकन से सम्बन्धित त्वरित सूचना संकलन बाबत।
11 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
12 उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर ।
13 वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
14 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
15 समस्त संस्था प्रधान–रामावि/राउमावि को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
16 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com